प्रेषक, संख्या-108/2016/आर-1418/26-3-2016-14(33)/2005

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 20 मई, 2016

विषयः एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, सोनहा-खीरी में एनुअल फंक्शन एवं बायोमैट्रिक अटेन्डेन्स हेतु धनराशि स्वीकृति करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0लखनऊ के पत्रांक-31/ज.जा.वि./2016-17, दिनांक-05.05.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव पर सम्यकविचारोपरान्त **एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, सोनहा-खीरी में एनुअल फंक्शन एवं बायोमैट्रिक अटेन्डेन्स** हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के आयोजनागत पक्ष की योजना/लेखाशीर्षक-'2225-02-796-01-0104-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन), में प्राविधानित धनराशि रूपया-250.00 लाख के सापेक्ष रूपया-5.50 लाख (रूपया पांच लाख पचास हजार मात्र) धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न कार्यों में व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि (रूपये में)
1	2	3
1	तीन दिवसीय वार्षिकोत्सव सम्पन्न कराये जाने हेतु	रूपया-5,00,000.00
3	बायोमैट्रिक अटेन्डेन्स सिस्टम (कम्प्यूटर सहित) हेतु	रूपया-50,000.00
योग		**रूपया-5,50,000.00**

(रूपया पांच लाख पचास हजार मात्र)

(1)-स्वीकृत की जा रही धनराशि **'उ0प्र0 अनुसूचित जनजाति शैक्षिक एवं विकास समिति'** के नाम लखनऊ में राष्ट्रीयकृत बैंक में खुले खातें में जमा की जायेगी।

(2)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबन्धों तथा इस योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का लाभ नियमानुसार अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को ही दिया जायेगा।

(4)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपभोग कर लिया गया है और

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(5)- गत वर्ष में स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि की वित्तीय एवं प्राप्त भौतिक लक्षण की सूचना के साथ उपभोग प्रमाणपत्र यथासमय शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-0104-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियो के कल्याण के लिये विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु (के.100 प्रति$रा.0 प्रति)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सॅख्या बी-1//2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22-03-2016 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ.संख्या-108/2016/आर-1418(1)/26-3-2016 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, लखीमपुरखीरी।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in